



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-10032026-270787
CG-RJ-E-10032026-270787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1151]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1151]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1203(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)) की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	रींगस – सीकर दोहरीकरण (50.06 किमी)	राजस्थान

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-24]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 9th March, 2026

S.O. 1203(E).— In exercise of the powers conferred by section 2, clause (37A) of the Central Government, Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989), this notification notifies the project mentioned in column (2) of the table below, in the state mentioned in column (3) of the said table as a special railway project, effective from the date of publication of this notification in the Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Sl. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Doubling of Ringas - Sikar (50.06 km)	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXIV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)